सम्बन्ध में रियायतों का, जो उप-धाराओं (2) और (3) के अधीन प्राधिकृत हैं, नगद मूल्य विहित रीति से प्राक्कलित किया जाएगा।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य — धारा 11 का पुर्नक्रमांक धारा 4-A किया गया।

[मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1961, धारा 21 (दिनांक 23-6-1961 से लागू)]

12. मजदूरी की न्यूनतम दरों का संदाय — (1) जहाँ कि किसी अनुसूचित नियोजन के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन [1][* * *] कोई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहाँ नियोजक अपने अधीन के अनसूचित नियोजन में लगे हुए हर कर्मचारी को, ऐसी कटौतियाँ की जाने के सिवाय जो प्राधिकृत की जाए, कटौतियाँ किए बिना, मजदूरी ऐसी दर पर, जो उस नियोजन में कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए ऐसी अधिसूचना द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर पर, जो उस नियोजन में कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए ऐसी अधिसूचना द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम ना हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, संदत्त करेगा।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

---

14. अतिकालिक काल — (1) जहाँ कि ऐसा कर्मचारी, जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस अधिनियम के अधीन घंटे, दिन या ऐसी दीर्घत्तर मजदूरी-कालावधि के हिसाब से, जैसी विहित की जाए, नियत की गई है, किसी भी दिन उतने घन्टों से, जितनों से प्रसामान्य कार्य-दिवस गठित होता है, अधिक समय काम करता है, वहाँ नियोजक उसे काम के हर ऐसे घन्टे के लिए या घन्टे के भाग के लिए जिसमें उसने इस प्रकार आधिक्य में काम किया हो, इस अधिनियम के अधीन नियत की गई अतिकालिक दर में और समुचित सरकार की किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियत की गई अतिकालिक दर में से जो भी अधिक हो उसी दर पर संदाय करेगा।

(2) इस अधिनियम में की कोई भी वाद किसी ऐसी दशा में [2][कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 59] के उपबंध लागू होते हैं, उन उपबन्धों के प्रवृतन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य — मूल अधिनियम की धारा 14 के उप-धारा(1) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जावे —

"(1-ए) राज्य शासन, अधिसूचना के माध्यम से, किसी अनुसूचित नियोजन में अतिकाल कार्य की अवधि का निर्धारण ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ, जैसी की अधिसूचना में निर्धारित की गई हो, कर सकेगी।"

[मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1961, धारा 7 (दिनांक 23-6-1961 से लागू)]

---

1. 1957 के अधिनियम क्र. 30 की धारा 10 द्वारा जोड़ा गया।
2. 1954 के अधिनियम क्र. 26 की धारा 4 द्वारा "कारखाना अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम क्र. 25) की

(4) उपनियम (3) में दर्शाये क्षति या हानि के लिए जुर्माना या कटौत्री की राशि, ऐसी सीमा के अधीन होगी जो शासन द्वारा विर्निर्दिष्ट की गई हो। सभी जुर्माना जो अधिरोपित किए गए हों या कटौत्री जो किए गए हों प्ररूप "एक", "दो" और "तीन", जैसी भी स्थिति हो, में रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी। [1][नियोक्ता के द्वारा दो प्रतियों में प्ररूप तीन में प्रत्येक वर्ष विवरणी प्रस्तुत की जावेगी जो निरीक्षक को] पूर्ववर्ती वर्ष के 31 जनवरी तक पहुँच जावे।

(5) शासन द्वारा श्रमायुक्त को दिए निर्देशानुसार एवं श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत ऐसे प्रयोजन हेतु उपनियम (3) के अधीन किए गए जुर्माने की राशि का उपयोग कर्मचारियों के हित के लिए किया जावेगा।

(6) इन नियमों में मजदूरी संदाय अधिनियम् 1936 [1936 का 4था] के प्रावधान प्रस्तावित नहीं होंगे, ऐसा समझा जावेगा।

23. अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम वेतन का प्रचार - प्रारूप दस में सूचना जिसमें न्यूनतम वेतन दर, अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों की संक्षिप्ति तथा निरीक्षक का नाम व पता सम्मिलित हो, नियोक्ता द्वारा अंग्रेजी एवं हिन्दी में निरीक्षक द्वारा चुने गए स्थान पर प्रदर्शित किया जावेगा एवं स्वच्छ रखा जावेगा। ऐसी सूचनाओं का प्रदर्शन सभी जिला स्तरीय एवं उप-संभागीय कार्यालयों के सूचना बोर्ड में भी किया जावेगा। यदि निरीक्षक किसी विशिष्ट स्थान का चयन किसी प्रकरण में नहीं कर पाता है तो सूचना का प्रदर्शन संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार पर या कृषि नियोजन की स्थिति में नियोक्ता निवास के मुख्य प्रवेश द्वार या फार्म हाऊस के जहाँ से कर्मचारी अपने औजार प्राप्त करता है या जहाँ वह अपनी मजदूरी का भुगतान प्राप्त करता है।

[2]**24. साप्ताहिक अवकाश दिवस** - किसी अनुसूचित नियोजन में साप्ताहिक अवकाश उन्हें प्रभावशील होने वाले विधान के अनुसार इस संबंध में होगा और जहाँ ऐसे विधान प्रभावशील नहीं है वहाँ शासन, उचित समझे तो, साप्ताहिक अवकाश निश्चित कर सकेगा।

25. कार्य के घन्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस नियत करे- (1) कार्य के घन्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस, [3][* * *] निश्चित करे, वह-

(अ) व्यस्क के लिए - 9 घन्टे

(ब) बालक के लिए - $4^1/_2$ घन्टे

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित होगी जो विश्राम के विराम को सम्मिलित कर होगी जो कोई भी दिन बारह घन्टे से अधिक विस्तृति नहीं होगी या शासन द्वारा, ऐसा अधिक समय, सामान्य या विशिष्ट अधिसूचना के द्वारा होगा।

(3) अवयस्क व्यक्ति की स्थिति में कार्य के घन्टों की संख्या, वही होगा, जो एक वयस्क या बालक, तदनुसार वयस्क या बालक के रूप में कार्य करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित सक्षम चिकित्सा वृत्तिक द्वारा प्रमाणित हो जो शासन द्वारा संचालित किसी औषधालय या चिकित्सालय

1. अधिसूचना क्रमांक 4587-1845-सोलह दिनांक 26-6-1964 - म.प्र. राजपत्र के भाग चार (ग) के पेज 311 दिनांक 7-8-1964 को प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक 5241-4749-सोलह दिनांक 25-8-66, म.प्र. राजपत्र भाग-चार में प्रकाशित द्वारा जोड़ा गया।

में नियुक्त सब-असिस्टेन्ट सर्जन से कम ओहदे का ना हो।

(4) उपनियम (1) से (3) के प्रावधान, कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिक की स्थिति में, ऐसे संशोधनों के अध्ययीन, समय-समय पर शासन द्वारा अधिसूचना अनुसार होगी।

(5) कोई बालक या तो नियोजित किया जावेगा या कार्य हेतु $4^1/_2$ घन्टे से अधिक के लिए अनुमत किया जावेगा।

(6) इस नियम की कोई भी बात निर्माणी अधिनियम, 1948 या [1][म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958] के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

26. रात्रिपारी - जहाँ किसी अनुसूचित व नियोजन में कर्मकार पारी पद्धति से कार्य करता है, जो मध्यरात्रि के परे होता है-

(अ) नियम 23 के प्रयोजनों के लिए पूरे दिन का अवकाश, उसके संबंध में से अभिप्राय होगा कि जब उसकी राशि समाप्त होती है, उस समय से चौबीस घन्टे की अवधि क्रमवर्ती घन्टों में होगी, और

(ब) ऐसी स्थिति में आगामी दिन चौबीस घन्टों की अवधि जब ऐसी पारी की समाप्त होती है, से प्रारंभ होगी, माना जावेगा और मध्यरात्रि के बाद के घन्टे जिसके दौरान ऐसा कर्मकार कार्य के लिए नियोजित हो, पूर्व दिवस के लिए गिना जावेगा।

[2][**27. अतिकाल कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी** - (1) जब कोई कर्मकार नियोजन में किसी भी दिन नौ घन्टे से अधिक कार्य करे या सप्ताह में अड़तालीस घन्टे से अधिक कार्य करे तो वह अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी का हकदार होगा-

(अ) कृषि नियोजन की स्थिति में सामान्य मजदूरी की दर से,

(ब) किन्ही अन्य अनुसूचित व नियोजनों की स्थिति में सामान्य मजदूरी की दर से दुगना, होगा।

स्पष्टीकरण - अभिव्यक्ति ''सामान्य मजदूरी की दर'' से अभिप्राय मूल मजदूरी और ऐसे भत्ते जिसमें प्राप्त सुविधाओं के नगद के बराबर, नियोजित व्यक्ति को अनाज और अन्य वस्तुएँ जैसा कि व्यक्ति नियोजित हो, प्राप्त करने का हकदार, होगा परन्तु इसमें बोनस सम्मिलित नहीं होगा।

(2) प्ररूप चार में अतिकाल के भुगतान सम्बन्धी पंजी रखा जावेगा।

(3) इस नियम की कोई भी बात निर्माणी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।]

28. ऐसी परिस्थिति जिसमें एक कर्मकार पूरे सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखेगा- कोई व्यक्ति, सामान्य कार्य दिवस के घन्टों से कम की अवधि के लिए नियोजित किया गया हो तो वह पूर्ण कार्य दिवस के मजदूरी प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखेगा। सामान्य कार्य दिवस की अवधि में जितना समय स्वयं अनुपस्थित रहा को छोड़कर पात्र होगा।

1. अधिसूचना क्रमांक [illegible]